रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

संशोधित शिक्षक कल्याण कोष विनिमय

अध्याय–1: अ) यह नियम "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण कोष" कहलाएगा। इस नियम का प्रभाव–क्षेत्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तक होगा।

ब) यहां शिक्षक से तात्पर्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत नियमित अध्यापकों से होगा।

अध्याय–2: <u>कोष का उद्देश्य</u> –

अ) ऐसे शिक्षक अथवा उनके आश्रितों की सहायता करना, जिन्हें आपदाग्रस्त होने के कारण सहायता की आवश्यकता हो।

ब) अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं पर शिक्षकों को ऋण प्रदान करना

स) शिक्षक संघों को खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों एवं अखिल भारतीय/प्रांतीय अधिवेशन/ सेमिनार के जबलपुर नगर में आयोजन हेतु अनुदान देना।

अध्याय–3: <u>समिति की संरचना</u> –

1) अध्यक्ष – कुलपति – पदेन
2) सचिव – कुलसचिव – पदेन
3) कोषाध्यक्ष – वित्त अधिकारी – पदेन
4) सदस्य कुल संख्या – 08

अ) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का अध्यापक मण्डल जबलपुर
ब) शासकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जबलपुर के अध्यक्ष एवं सचिव पदेन
स) अशासकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जबलपुर के अध्यक्ष एवं सचिव पदेन सदस्य
द) मेडिकल कॉलेज जबलपुर शिक्षक संघ/कौंसिल के अध्यक्ष पदेन सदस्य
ई) इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष

इस प्रकार इस समिति में कुल 11 (ग्यारह)

अध्याय–4: <u>समिति के कार्य एवं अधिकार</u> –

1) कोष के व्यवस्थित एवं नियमित संचालन का दायित्व इस समिति का होगा।

2) समिति की बैठक प्रति दो माह में होगी जिसमें आर्थिक सहायता/ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा। बैठक के लिए कम से कम 06 सदस्य संख्या आवश्यक होगी जिसमें 03 शिक्षक सदस्य होंगे।

3) सामान्यतः आर्थिक सहायता/ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर बैठक में ही विचार किया जावेगा। किन्तु किसी बीमारी संबंधी अपरिहार्य तात्कालिक सहायता/ऋण के लिए दो भिन्न शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर पर कुलपति राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे। इसकी पुष्टि आगामी बैठक में होगी।

4) अध्यक्ष (कुलपति) की सहमति से बैठक आमंत्रित करने की विधिवत कार्यवाही विवरण को परिपूर्ण रखने तथा प्रत्येक बैठक का विवरण सदस्यों को प्रेषित करने का दायित्व सचिव (कुलसचिव) का होगा।

5) आय–व्यय संबंधी विधिवत लेखा तैयार करने का दायित्व कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी) का होगा। वह सत्र के अंत में 31 मार्च तक कोष के आय–व्यय का विस्तृत एवं परिपूर्ण लेखा तैयार कर समिति के समक्ष अप्रैल माह में प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक होने पर समिति इसके परीक्षण हेतु निर्देशित कर सकती है।

Scanned by CamScanner

अध्याय–5: कोष का उपयोग, आर्थिक सहायक एवं ऋण संबंधी नियम –

किसी भी स्थिति में निर्धारित निम्न उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए इस कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जावेगा। निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त कोष की राशि का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार किसी व्यक्ति/समिति को नहीं होगा। अध्याय–2 दो में निर्दिष्ट कोष के उद्देश्यो के अनुरूप निम्न स्थितियों में ही कोष की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

अ) यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु उसके सेवाकाल में हो जाती है तो उसके आश्रित व्यक्तियों के सहायतार्थ आवेदन पर सहायता राशि 50,000/– रूपये देय होगी।

ब) शिक्षक/शिक्षिका की दीर्घकालीन असाध्य बीमारियों में यथा पक्षाघात, कॅंसर, विक्षिप्तता, किडनी आदि उपचारों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह ऋण राशि 50,000/– रूपये तक प्रदान की जा सकेगी। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए आवेदक को डॉक्टर का प्रमाण–पत्र देना होगा। जिसमे बीमारी को किसी विशेष अस्पताल में ले जाने की अनुशंसा हो। देय राशि की वसूली अधिकतम 36 किस्तों में की जावेगी।

स) यदि उक्त असाध्य बीमारी से शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु हो जाती है तो उक्त ऋण को सहायता मान लिया जावेगा। इसे किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लिया जावेगा।

द) यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के आश्रित असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो उनके उपचारार्थ भी आवेदन पर ऋण दिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में यह ऋण 20,000/– रूपये से अधिक नहीं होगा। यदि बीमारी की हालत में आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो यह ऋण सहायता के रूप में परिवर्तित हो जावेगी।

उपर्युक्त मद में शिक्षक को शासन अथवा विश्वविद्यालय से एक ही स्रोत से ऋण प्राप्त हो सकेगा।

ई) तीनो क्षेत्रीय इकाइयों विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकों की सम्मिलित खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन हेतु अधिकतम 10,000/– रूपये का अनुदान दिया जा सकेगा। यह राशि तीनों संघों द्वारा निर्मित समिति को प्रदान की जावेगी।

फ) शिक्षक संघों के अखिल भारतीय/प्रांतीय अधिवेशन/सेमिनार जबलपुर नगर में आयोजन हेतु अधिकतम 25,000/– रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

नोट– उपरोक्त कंडिकाओं में सत्यता के प्रमाणीकरण प्राप्त करने के अधिकार समिति को प्राप्त होंगे। सहायता के प्रस्थापन हेतु समिति द्वारा मांगे गये पत्र आदि संबंधितों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अध्याय–6: कोष के आर्थिक स्रोत –

1) शिक्षकों के स्थायी परीक्षा पारिश्रमिक से चार प्रतिशत की कटौती की राशि कोष में जमा होगी।
2) शिक्षकों की निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षा पारिश्रमिक राशि हो जाने पर अतिरिक्त राशि कोष के खाते में जमा होगी।
3) व्यक्तिगत अथवा संस्थागत प्राप्त अनुदान की राशि इस कोष में जमा की जा सकेगी।
4) समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्रोतों द्वारा प्राप्त राशि यथा:–

अध्याय–7: अन्य नियम –

1) शिक्षक कल्याण कोष का खाता विश्वविद्यालय के अधिसूचित बैंक में बचत खाता में अलग से रखा जावेगा।
2) प्रतिवर्ष प्राप्त राशि का एक तिहाई भाग सावधि जमा राशि के रूप में बैंक में रखा जावेगा।
3) ऋण/सहायता स्वीकार करने हेतु बीमारी की स्थितियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। इसके पश्चात् ही कोष की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

4) ऋण/सहायता राशि सम्पूर्ण सेवाकाल में संबंधित व्यक्ति/शिक्षक संघ को एक ही बार प्रदान की जा सकेगी। इस आशय का प्रमाणीकरण आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र में देना होगा।

अध्याय–8: सहायता/ऋण प्राप्त करने की –

1) शिक्षक कल्याण कोष से केवल वही शिक्षक सहायता/ऋण प्राप्त कर सकेगा जो विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में कम से कम दो सत्र तक पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके होंगे।

टिप्पणी:– पांच वर्ष शिक्षण कार्य की अनिवार्यता उस शिक्षक/शिक्षिका पर नहीं होगी जो दिवंगत हो चुके है और उनके आश्रितों द्वारा सहायता की मांग की गई है।

2) ऋण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सिक्योरिटी बॉण्ड भरना होगा सहायतार्थ आवेदन के लिये सिक्योरिटी बॉण्ड आवश्यक नहीं होगा।

3) ऋण तभी दिया जावेगा, जब आवेदक उस संस्था, जहां वह कार्यरत है के प्रमुख का यह पत्र संलग्न करेगा कि उसके वेतन से काटकर मासिक किस्तें विश्वविद्यालय में जमा की जावेगी।

4) ऋण राशि अधिकतम 36 किस्तों में वापिस की जावेगी।

क) ऋण की स्वीकृत राशि का भुगतान शिक्षकों को उनके संस्था के प्रमुख के माध्यम से ही दिया जावेगा।

ख) ऋण की स्वीकृति प्रतिलिपि संबंधित संस्था के प्रमुख को भेजी जायेगी।

ग) जिस माह में ऋण राशि का वितरण हो उसके अगले माह में संबंधित शिक्षक किस्त का भुगतान आरंभ करेगा।

5) ऋण पर 2% की दर से ब्याज देय होगी जो प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य वर्ष की गणना शेष राशि से बाद में की जावेगी।

6) ऋण राशि पर ब्याज का हिसाब लगाकर उसे मासिक किस्तों में समान रूप से विभाजित कर मूल ऋण के साथ ही वापिस किया जावेगा। यह हिसाब लगाकर किस्त की पूर्ण राशि मूल–ब्याज विश्वविद्यालय ऋण प्राप्तकर्ता को बताएगा।

अध्याय–9: ऋण वापिसी –

1) ऋण की तीन किस्तें जमा न करने पर विश्वविद्यालय कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित व्यक्ति को 15 दिन की अवधि में किस्तें जमा करने का नोटिस दिया जावेगा।

2) ऋण की पांच किस्तें जमा न करने पर प्रकरण शिक्षक कल्याण कोष समिति को सौंप दिया जावेगा। समिति को अधिकार होगा कि उस व्यक्ति की ऋण की पात्रता समाप्त कर शेष ऋण एक साथ वसूल करने का निर्णय ले अथवा उसे समझाकर भविष्य में किस्तें जमा करते रहने का कड़ा अनुदेश दे। किन्तु दोबारा पांच किस्तें जमा न करने पर उसे क्षमा नहीं किया जावेगा और शेष पूर्ण राशि एक साथ वसूल की जावेगी।

3) यदि उक्त निर्देशों के पश्चात् भी ऋण राशि जमा नहीं की जाती तो संबंधित शिक्षक के प्राप्त पारिश्रमिक देयक से राशि की कटौती कर ली जावेगी।

4) ऋण राशि वापिस करने के लिये संबंधित व्यक्ति को एक माह का नोटिस दिया जावेगा। जिसकी प्रतियां उसकी संस्था प्रमुख और शासन को भी दी जावेगी।

5) संबंधित द्वारा ऋण जमा न किये जाने पर समिति प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

Scanned by CamScanner

दिनांक 29/3/2011 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक का कार्यवृत्त–

9. समिति द्वारा किये गये संशोधित शिक्षक कल्याण कोष विनिमय पर विचार ।

निर्णय – विचारोपरांत शिक्षक कल्याण कोष विनियम को मान्य किया गया ।

आगामी कार्यवाही हेतु लेखा विभाग प्रेषित हैं

Scanned by CamScanner